अत्यावश्यक
पंचायत आम चुनाव, 2021

राज्य निर्वाचन आयोग
बिहार
STATE ELECTION COMMISSION,
BIHAR

पत्र संख्या–प0 नि0 30–95/2021–3258

प्रेषक,

सचिव,
राज्य निर्वाचन आयोग, बिहार।

सेवा में,

सभी जिला पदाधिकारी–सह–
जिला निर्वाचन पदाधिकारी (पंचायत)

पटना, दिनांक–24 **अगस्त, 2021**

विषयः– **पंचायत निर्वाचन, 2021 : मतदान हेतु कतार में खड़े व्यक्तियों को मतदान का अवसर देने के संबंध में।**

महाशय,

निदेशानुसार उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि बिहार पंचायत निर्वाचन नियमावली 2006 के नियम 62 (2) के परन्तुक में स्पष्ट प्रावधान है कि

"वे मतदाता, जो मतदान बंद होने के नियत समय तक मतदान केन्द्र में उपस्थित हों, नीयत समय समाप्त हो जाने पर भी मतपत्र प्राप्त करने के अधिकारी होंगे एवं मतदान कर सकेंगे।"

उक्त परिप्रेक्ष्य में आयोग का निदेश है कि सभी पीठासीन पदाधिकारी को सचेत कर दिया जाय कि अगर मतदाता निर्धारित समय तक मतदान हेतु कतार में लगे हैं, तो अंतिम व्यक्ति से क्रम संख्या एक से शुरू कर पर्ची दे देंगे एवं अपनी डायरी में इस तथ्य का उल्लेख कर देंगे तथा सभी को मतदान का अवसर देंगें। इसका उल्लंघन करने वाले मतदान पदाधिकारियों के विरूद्ध अनुशासनिक कार्रवाई भी की जा सकती है।

अनुरोध है कि तदनुसार कार्रवाई की जाय एवं सभी संबंधित को ततसंबंधी निदेश से अवगत कराने की कृपा की जाय।

विश्वासभाजन,

ह0/- 24/8/21
सचिव।

ज्ञाप संख्या प0नि0–30–95/2021–3258 पटना, दिनांक 24 **अगस्त, 2021**

प्रतिलिपि– अपर मुख्य सचिव, पंचायती राज विभाग को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह0/- 24/8/21
सचिव।

ज्ञाप संख्या प0नि0–30–95/2021–3258 पटना, दिनांक 24 **अगस्त, 2021**

प्रतिलिपि– सभी प्रमंडलीय आयुक्त को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह0/- 24/8/21
सचिव।

ज्ञाप संख्या प0नि0–30–95/2021–3258 पटना, दिनांक 24 **अगस्त, 2021**

प्रतिलिपि– आई.टी. मैनेजर को आयोग के बेवसाईट पर पत्र अपलोड कराने हेतु प्रेषित।

ह0/- 24/8/21
सचिव।

Sone Bhawan, 3rd Floor, Birchand Patel Marg, Patna – 800 001, Phone 2506826, 2506917, 2506844, 2506994 Fax: 0612-2507847, E-mail: secbihar@gmail.com